JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वर्तमान समय में बाल–अपराध के कारण सामाजिक, आर्थिक विघटन रोकने में षिक्षा की भूमिका (दुर्ग भिलाई के विषेष संदर्भ में)

शोधकर्ता
श्रीमती नीलम चौहान
शोधार्थी (षिक्षा)
श्री रावतपुरा सरकार अ.वि.वि.,
धनेली रायपुर

शोध निर्देषिका
डॉ. शीतल अडगांवकर
श्री रावतपुरा सरकार अ.वि.
वि., धनेली रायपुर (छ.ग.)

सहशोध निर्देषक
डॉ. अब्दुल सत्तार
विभागाध्यक्ष
कमला नेहरू महाविद्यालय,
कोरबा (छ.ग.)

संक्षेपिका

वर्तमान समय में बाल–अपराध में प्रति दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, किषोरावस्था में जाने पर कुछ बच्चों में विभिन्न प्रकार के अपराध के लक्षण परिलक्षित होते हैं बाल–अपराध को रोकने में षिक्षा की अहम भूमिका होती है। वर्तमान में अपराध के क्षेत्र में बाल अपराध मूलतः पारिवारिक एवं सामुदायिक विघटन की देन है, सामुदायिक विघटन की समस्या वर्तमान समाज में निरंतर बढ़ती जा रही है जो सम्पूर्ण विष्व के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। इस कारण अपराध को रोकने के लिए उसके लिए उत्तरदायी कारकों एवं नियंत्रण के उपाय ढूंढ़े जाना आवष्यक है।

भूमिका

प्राचीन भारत में षिक्षाविद इन तथ्य से भली–भांति परिचित थे कि षिक्षा व्यक्ति के सर्वांगिय विकास समाज की चतुर्मुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की आधार षिला है। अतः उन्होंने षिक्षा की ऐसी प्रषंसनीय प्रणाली का प्रतिपादन किया जिसमें न केवल विषाल वैदिक साहित्य को सुरक्षित किया वरन ज्ञान के विविध क्षेत्रों में मौलिक विचारकों को भी जन्म दिया, जिनसे भारत का मान आज भी गर्व और गौरव से उन्नत है इस दृष्टि से भारत की मुक्त कंठ से प्रसंषा करते हैं। षिक्षा वस्तुतः अपने परिष्कृत एवं शुद्ध रूप से मानव को विवेकषील बनाती है इसी कारण मनुष्य को प्रकृति की सर्वोत्तम कृति होने का गौरव प्राप्त हुआ।

षिक्षण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसका संबंध, बालक के मानसिक, शारीरिक एवं सम्पूर्ण विकास से होता है विद्यार्थियों को ऐसे शैक्षिक अवसर प्रदान करना चाहिए जिसमें उनका विकास समस्त क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। षिक्षा का उद्देष्य बालक को उसके अंतिक लक्ष्य तक पहुँचाना है ताकि उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है किन्तु बालक के संवेगात्मक विकास के लिए बालक को शैक्षिक परिवार के साथ भावात्मक रूप से जुड़कर अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने–बाने में लगातार चलती रहती है।

बाल अपराध से आषय –

बाल अपराध के अन्तर्गत बालकों के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है, बालकों व किषोरों के ऐसे व्यवहार जो लोक–कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं जिससे समाज के व्यवहार नियामक आदेषों एवं आदर्षों का उल्लंघन होता है और जिससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुँचाती है इन व्यवहारों को बाल–अपराध की क्षेणी में रखा जाता है, उदा. – ऐसे बालक जो स्कूल से भाग जाते हैं निरूद्देष्य इधर–उधर घूमते रहते हैं घर से बाहर रहते हैं आवारा लड़कों के साथ रहते हैं गलत आचरण करते हैं किसी की सम्पत्ति या जान–माल को क्षति पहुँचाते हैं, बाल–अपराधी की श्रेणी में आते हैं।

भारत के बाल–अपराध से सम्बंधित आँकड़े स्पष्ट नहीं है सन् 2000 तक बाल अपराध से संबंधित आंकड़े बाल अपराध न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act, 1986) अनुसार एकत्र किए गए जिसके अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को बाल–अपराधी की श्रेणी में रखा था सन् 2000 में बाल–अपराध न्याय अधिनियम में संषोधन किया गया और लड़के तथा लड़कियों दोनों के उम्र 18 वर्ष का दिया गया इसमें बाल–अपराधी से सम्बंधित आंकड़े बदल गए साथ ही बाल–अपराध से संबंधित बहुत सारे मामले पुलिस में विभिन्न कारणों से दर्ज ही नहीं कराए जाते हैं

अतः प्रति वर्ष भारत में बाल–अपराध से संबंधित जितने मुकदमें दर्ज किए जाते हैं बाल–अपराधियों की वास्तविक संख्या साधारणातः उनसे कई गुणा अधिक होती है।

बाल अपराध रोकने में षिक्षा की भूमिका

1. **माता–पिता के माध्यम द्वारा –** पालक कार्तव्य है कि वे अपराधी बालकों के प्रति निम्न बातों पर ध्यान दे।

अ. यदि बालक ने प्रथम बार अपराध किया है तो उसके साथ कठोरता का व्यवहार न करके सहानुभूति ढ़ंग से समझा दिया जाए कि वह उसका सुनिष्चित कार्य था।

ब. अपराधी बालकों की रूचियों को माता–पिता को महत्व देना चाहिए और उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए।

स. माता–पिता को अपराधी बालकों की आलोचना नही करनी चाहिए।

2. **मनोवैज्ञानिक माध्यम द्वारा** – मनोवैज्ञानिक के विचार में अपराधों का जन्म अनेक मनोवैज्ञानिक कारणों में होता है।

अ. बालकों के मस्तिष्क में जो–जो भावात्मक ग्रंथियाँ पड़ जाती है। उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाए।

सरकार के माध्यम से –

बाल अपराध प्रत्येक समाज के लिए एक गंभीर समस्या है इसलिए उन्हें सुधारने के लिए विभिन्न सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना की गई है किशोर न्यायालय बोस्टल स्कूल प्रोबेषन सुधार स्कूल तथा बाल बंदीग्रह आदि इन संस्थाओं का कार्य बाल अपराधियों को दण्डित करना नही। बल्कि उन्हें सुधारना होता है। भारत के भी कुछ संस्थाएं सक्रिय रूप से सुधार कार्य में संलग्न है।

अध्ययन क्षेत्र –

अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग जिला का चयन किया गया है। जो छत्तीसगढ़ राज्य के हृदय स्थल में स्थित है।

दुर्ग जिला में संचालित पुलगांव स्थित बाल सम्प्रेषण गृह का चयन किया गया है। इस अध्ययन में 500 बालकों को लिया गया है जो कि विगत पांच वर्षों के आंकड़ो के आधार पर है।

न्यादर्ष –

सामाजिक अनुसंधान के अभिकल्प का प्रथम पद है न्यादर्ष इसे प्रतिदर्ष कहते हैं।

अतः प्रस्तुत शोध कार्य के अंतर्गत 500 बाल अपराधियों का चयन दैव–निर्देषन के आधार पर किया गया।

सार्वभौम –

सार्वभौम का शाब्दीक अर्थ होता है अध्ययन से संबधित अनुसंधान क्षेत्र समस्त क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों से है जिनका चयन शोध कार्य के लिए प्रतिदर्ष के रूप में किया जाता है अर्थात् सार्वभौम का अर्थ वे समस्त इकाईयाँ जो अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है सामूहिक रूप से सार्वभौम कहलाती है जिस क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान किया जा रहा है। या उस स्थिति के समस्त लोग जिनका उपयोग शोध के लिए किया जा सकता है उसका संभावित अवलोकन सार्वभौम का वह भाग जिस तक शोधकर्ता की पहुँच होती है। उसे जनसंख्या कहते हैं और इसी जनसंख्या से प्रतिदर्ष का चुनाव किया जाता है।

जनसंख्या –

जनसंख्या एक सांख्यिकीय संकलपना है जिसका अर्थ होता है बहुत से इकाईयों का वृद्ध समूह जिसमें कुछ इकाईयों को अध्ययन के लिए चुना जाता है। अर्थात् सार्वभौम का एक भाग जिसका शोधकर्ता के द्वारा अध्ययन किया जाता है।

प्रस्तुत शोध–कार्य हेतु 500 बाल–अपराधियों का चयन विगत पांच वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किया गया।

उपकरण –

प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के संकलन के लिए स्वनिर्मित प्रमाणीकृत प्रष्नावली का प्रयोग किया गया है शोधकर्ता ने स्वनिर्मित प्रमाणीकृत प्रष्नावली का निर्माण अपने शोध निर्देषक एवं विषय विषेषज्ञों के सहयोग से किया है।

प्रस्तुत प्रष्नावली हाँ में 1 अंक एवं नहीं में 0 अंक रखे गये। आंकड़ों का विष्लेषण में प्रतिषत विधि का प्रयोग किया गया।

अध्ययन का उद्देष्य –

1. बाल अपराधी बालकों में षिक्षा के स्तर का अध्ययन करना।
2. बाल अपराधी बालकों के पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना।

परिकल्पना की पुष्टि –

वर्तमान समय में बाल अपराध के कारण सामाजिक आर्थिक विघटन रोकने में षिक्षा की भूमिका, प्रस्तुत शोध प्रबंध बढ़ते बाल–अपराध रोकने में षिक्षा का महत्व विषेष दुर्ग भिलाई के परिप्रेक्ष्य के उद्देष्य की पुष्टि की जाती है जिसमें शोधकर्ता द्वारा दुर्ग जिले में विगत 05 वर्षों के अंतर्गत (वर्ष 2015–16 से वर्ष 2021–22) में हुए कुल बाल अपराध के 700 दुर्ग प्रकरण में कुल 750 बाल अपराधियों की संख्या में से प्रस्तुत शोधकर्ता के लिए 500 बाल अपराधियों का चयन–दैव–निर्देषन के आधार पर किया गया है।

परिकल्पना H_1 – बाल अपराधी बालकों की सामान्य षिक्षा का स्तर निम्न पाया जाता है।

उपरोक्त परिकल्पना के आधार पर दुर्ग बाल–अपराधी गृह से विगत 5 वर्षों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 500 विद्यार्थियों (बाल–अपराधियों) का चयन दैव – निर्देषन के आधार पर किया गया प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए जो निम्नांकित है –

सारणी क्रमांक – 1

बाल अपराधी बालकों की सामान्य षिक्षा का स्तर

क्र.	कथन	हाँ की संख्या प्रतिषत में	नहीं की संख्या प्रतिषत में	योग
1.	क्या आप षिक्षित है?	100	0	100
2.	यदि आप षिक्षित है तो कहा तक 1–5, 6–8, 8–10?	100	0	100
3.	क्या आपके पालक षिक्षित है?	80	20	100
4.	क्या आपके घर का वातावरण षिक्षित है?	70	30	100
5.	क्या विद्यालयओं में पढ़ाई करने में आपका मन लगता है?	80	20	100
6.	क्या आपके सहपाठी षिक्षित है?	60	40	100
7.	आपके सहपाठी पढ़ाई मे मद्द करते हैं?	60	40	100
8.	क्या आपके पालक आपकी आवष्यकता पुरी करने में सक्षम है।	70	30	100

आरेख क्रमांक – 1

बाल अपराधी बालकों की सामान्य षिक्षा का स्तर

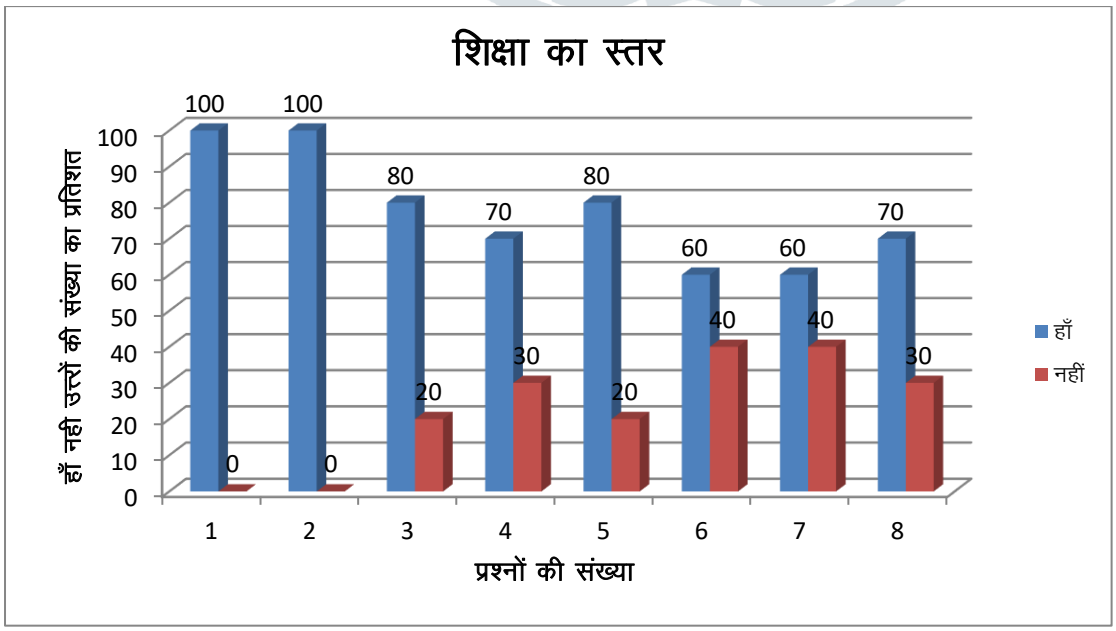

प्रस्तुत विष्लेषण के अनुसार 100 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि वे षिक्षित है। वही 60 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि वे 1–5 तक पढ़ाई कीए है एवं 20 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि वे 6–8 तक षिक्षा प्राप्त कीए है एवं 20 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि वे 8–10 तक पढ़ाई करके छोड़ दिए है तथा वे आगे कि पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि आर्थिक स्थिति ढ़ीक नहीं है 80 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पालक अषिक्षित है एवं खेती मजदूरी का कार्य करते हैं 70 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि उनके परिवार का वातावरण षिक्षित है एवं 30 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि उनके परिवार का माहौल अषिक्षित है 80 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि विद्यालय में पढ़ाई करने में उनका मन लगता है तथा 20 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि अध्ययन करने में उनका मन नहीं लगता, 60 प्रतिषत उत्तरदाताओं के मित्र अध्ययन कार्य में उनकी मदद करते हैं, वही 40 प्रतिषत उत्तरदाताओं के मिश्र अध्ययन कार्य में मदद नहीं करते, 70 प्रतिषत उत्तरदाताओं के माता–पिता उनकी आवष्यकता की पूर्ति करते हैं वही 30 प्रतिषत उत्तरदाताओं के माता–पिता आवष्यकता पूरी नहीं कर पाते क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है।

अतः परिकल्पना एच–1" बाल अपराधी बालाको मे सामान्यतः षिक्षा का स्तर निम्न पाया जाता है "स्वीकृत होती है।"

परिकल्पना H_2 – बाल–अपराधी बालको की पारिवरिक स्थिति सामान्यतः निम्न होती है।

उपरोक्त परिकल्पना के आधार पर दुर्ग बाल–अपराधी गृह से विगत 5 वर्षों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 500 विद्यार्थियों (बाल–अपराधियों) का चयन दैव – निर्देषन के आधार पर किया गया प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए जो निम्नांकित है –

सारणी क्रमांक – 2

बाल–अपराधी बालको की पारिवरिक स्थिति

क्र.	कथन	हाँ की संख्या प्रतिषत में	नहीं की संख्या प्रतिषत में	योग
1.	आपके पिता क्या कार्य करते है? (अ) मजदूरी, (ब) व्यवसाय (स) सरकारी कार्य, (द) अन्य कार्य	100	0	100
2.	क्या आपके पिता के आय से घर खर्च चल जाता है?	65	35	100
3.	क्या आपके पिता के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी काम करते है।	71	29	100
4.	क्या आपके माता–पिता परिवार मे एक साथ रहते है?	80	20	100

5.	क्या आपके पिता नषा/षराब का सेवन करते है?	57	43	100
6.	क्या आपके पिता नषे की हालात में मार–पिट करते हैं?	21	79	100
7.	क्या आपके आस–पास रहने वाले लोग नषा का सेवन करते हैं?	30	70	100
8.	क्या आपके घर के अन्य सदस्य भी कार्य करते हैं?	54	46	100

आरेख क्रमांक – 2

बाल–अपराधी बालको की पारिवरिक स्थिति

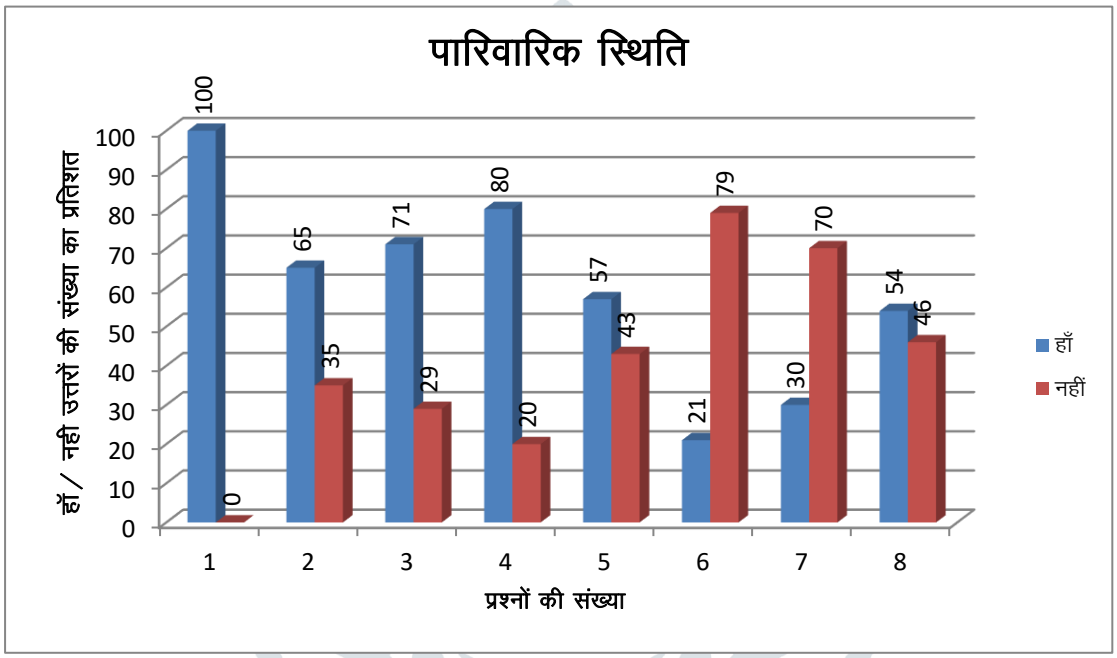

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सभी उत्तरदाताओं के पिता किसी कार्य या व्यवसाय में लिप्त है। जिसमें से 82 प्रतिषत छात्र के पिता मजदूरी करते हैं। 6 प्रतिषत व्यवसाय, 6 प्रतिषत सरकारी नौकरी और 6 प्रतिषत आय कार्य करते हैं। 65 प्रतिषत उत्तरदाताओं कि आय से घर का खर्च चलता है क्योंकि उनकी आवष्यकताओं की पूर्ति हो जाती है क्योंकि उनकी आमदनी (आय) लगभग थोड़ी ढ़ीक है जबकि 35 प्रतिषत उत्तरदाताओं की आय से खर्च नही चलता है क्योंकि आमदनी से अधिक परिवार में खर्च है एवं पारिवार के सदस्यों कि संख्या अधिक है तथा परिवार में कार्य के लिए केवल एक ही व्यक्ति है एवं अर्थिक स्थिति अत्यंत दयनिय है। जीससे कि घर का खर्च नही चल पाता 71 प्रतिषत उत्तरदाताओं के घर में उनके पिता के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी कार्य या व्यवसाय करते हैं। या मजदूरी करके अपने परिवार की आवष्यकता की पूर्ति करते हैं जबकी 29 प्रतिषत के घरों में परिवार के अन्य सदस्याएं कार्य नही करते हैं क्योंकि वे या तो पढ़ाई कर रहे हैं या छोटे है।

अतः परिकल्पना एच–2 बाल अपराधी बालकों कि पारिवारिक स्थिति सामान्यतः निम्न होती है। "स्वीकृत होती है।"

परिकल्पनाओं का विष्लेषण –

अनुसंधान प्रक्रिया में परिकल्पनाओं की रचना के पश्चात् उनके परीक्षण के लिए संकलित किया गया आंकड़ों का विष्लेषण एवं व्याख्या करने की आवष्यकता होती है। जिनकी सहायता से हम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं आंकड़ों के विष्लेषण व सारणियों से तात्पर्य उसमें निहित परिणामों का अध्ययन करना होता है। इस कार्य के अंतर्गत तथ्यों का विष्लेषण करते समय अपने अध्ययन के उद्देष्यों को दृष्टिगत रखकर आवष्यकतानुसार सांख्यिकी प्रविधियों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है।

सांख्यिकी एक विज्ञान है जिसमें समस्त तथ्यों से संबंधित प्रदत्तों को एकत्रित किया जाता है उन्हें सांख्यिकी बद्ध किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है साथ ही निष्कर्ष की शुद्धता की भी जाँच की जाती है।

निष्कर्ष –

वर्तमान में बाल–अपराध की समस्या ने पुरी दुनिया में एक गंभीर रूप धारण कर लिया है तेजी से बदलती सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति ने सामाजिक–परिवर्तन की गती काफी बढ़ा दी है विभिन्न सामाजिक संख्याओं के संरचना और प्रकार्यों में काफी तेजी से बदलाव आया है भौतिक सुख समृद्धि और उपभोक्ता संस्कृति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पहले से काफी बढ़ा है सूचना और संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है।

निम्नलिखित निष्कर्ष है –

1. बाल–अपराधियों बालकों को षिक्षा प्रदान करने से उनके जीवन पर उचित प्रभाव पड़ता है एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2. बाल–अपराधी बालकों का षिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत गुणों का विकास होता हैं।
3. बाल– अपराधी बालकों को लघु उद्योग कि षिक्षा प्रदान की जाती है।
4. बाल–अपराधी बालकों की शासन द्वारा सम्पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है।
5. षिक्षा के द्वारा वे समाज में समायोजन स्थापित कर सकते हैं।

सुझाव –

बाल–अपराध की उत्पत्ति में कम्प्यूटर, इलेक्ट्रांनिक मीडिया एवं पुरा पड़ोस बहुत हद तक सहायक होते हैं इसका आधार एवं सुझाव निम्नलिखित है –

1. बाल–अपराधी बालकों को अनिवार्य षिक्षा देनी चाहिए।

2. बच्चों के उचित पालन–पोषण के लिए एवं षिक्षण के लिए विषेष प्रयास करना चाहिए क्योंकि ज्यादा अपराधी गरीब और कम पढ़े–लिखे घरों से आते हैं।
3. बाल–अपराधी बालकों के नैतिक एवं व्यक्तिगत गुणों का विकास होना चाहिए।
4. बाल–अपराधी बालकों को व्यावसायिक षिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए।
5. अपराधी बालकों को समान रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
6. अपराधी बालकों को नवीन संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

भविष्य की सम्भावनाएं –

प्रस्तुत शोध कार्य के निम्नांकित सम्भावनाएं है – बाल–अपराध मुख्य रूप से नगरीय घटना होने के कारण नगरीय समाज की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए निजी एवं सार्वजनीक दोनों ही प्रकार एजेन्सीयों को अपराध में सम्मिलित किया गया है।

1. इस प्रकार के क्रियाकलापों को संगठित करना जो व्यक्तिगत के स्वस्थ विकास और बच्चों के समायोजन में सहायक है।
2. बच्चों के लिए विषेष निरोधक सेवाओं का संगठन करना।
3. ऐसी संस्थाओं में बालकों के लिए नौकरी आदि के अवसर प्रदान करने से जहाँ उनका शोषण न हो।
4. पड़ोस में मनोरंजन की सुविधा प्रदान करना।
5. स्कूलों की स्थापना करना।
6. परिवार परामर्ष तथा परिवार समाज कार्य द्वारा वैवाहिक सम्बंधों को सुधार करना।
7. व्यवसाय की दषा में सुधार करना।
8. स्कूलों में सामाजिक षिक्षा प्रदान करना।
9. बाल–अपराध गृह को अधिक क्रियाषील बनाने हेतु किए गए प्रयासों का समीक्षात्मक अध्ययन।
10. बाल–सुधार गृह में अध्ययनरत विद्यार्थियों में षिक्षा के महत्व का अध्ययन।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. कुमारी मंजू : भारत में बाल–अपराध, प्रिंटवैल पब्लिषर्स डिस्ट्रीव्युटर्स
2. बाबेल, बसंती लाल : अपराध ईस्टर्न बुक कंपनी
3. महाजन, डॉ संजीत : अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र नई दिल्ली, आर्थ बुक डिपो
4. पाठक, पी. डी. : षिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
5. शर्मा, डॉ. एन. के. : अधिगम का मनोसामाजिक आधार एवं षिक्षण आर.लाल डिपो, मेरठ

6. पचौरी, डॉ. गिरीष : भारतीय समाज में षिक्षा, इंटरनेषल पब्लिषिंग हाउस, मेरठ
7. शर्मा, आर. ए. : षिक्षा अनुसंधान, आर लाल बुक डिपो, मेरठ
8. गुप्ता राजकुमार : प्राइमरी षिक्षक
9. तिवारी, श्रीमति विमला : उदयीमान भारतीय समाज में अध्याय षिव प्रकाषन मंदिन, आगरा
10. मंगल, एस. के. : अधिगमकर्ता का विकास एवं षिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेषन, आगरा
11. भटनागर, डॉ. ए. बी. : अधिगमकर्ता का विकास एवं षिक्षण अधिगम प्रक्रिया, आर. लाल बुक डिपो
12. भटनागर, डॉ. ए. बी. : षिक्षा मनोविज्ञान, आर. लाल बुक डिपो